बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या सं०–7/मु 04–02/2018 151 पटना, दिनांक 13/02/2018

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या–20/2018 (The Bihar Secondary Teachers Struggle Committee Munger–Ors.) एवं संलग्न याचिकाओं में दिनांक–29.01.2018 को पारित आदेश के आलोक में मुख्य सचिव स्तर के तीन पदाधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी है।

2. उक्त आदेश के आलोक में निम्न रूप से मुख्य सचिव स्तर के तीन पदाधिकारियों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है:–

(i) मुख्य सचिव, बिहार।

(ii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, अतिरिक्त प्रभार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग।

(ii) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त प्रभार गृह विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

3. उक्त विशेषज्ञ समिति स्थानीय निकायों के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के पे–पैकेज के संदर्भ में संबंधित हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से इन्टरैक्ट करेगी और उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायादेश के आलोक में प्रस्ताव तैयार कर सरकार (विभाग) को उपलब्ध करायेगी, ताकि उक्त याचिका में निर्धारित अगली सुनवाई की तिथि–15.03.2018 के पूर्व सरकार का पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर किया जा सके।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.2.18

(रॉबट एल० चोंग्थू)

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/मु 04–02/2018 151 पटना, दिनांक :– 13/02/2018

प्रतिलिपि :– उक्त विशेषज्ञ समिति के संबंधित पदाधिकारियों/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.2.18

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/मु 04–02/2018 151 पटना, दिनांक :– 13/02/2018

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री के सचिव एवं माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13.2.18

सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/मु 04–02/2018 151 पटना, दिनांक :– 13/02/2018

प्रतिलिपि:– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 10 प्रतियाँ कार्यालय हेतु उपलब्ध करायी जाय।

13.2.18

सचिव, शिक्षा विभाग।